/ 164

संख्याः– 1296 /VI(1)/2013–02(01)/2012

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 10 मई, 2013

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 में चारधाम यात्रा मार्गो पर आधारभूत सुविधाओं के निर्माण योजना के अन्तर्गत, केदारनाथ धाम में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त 02 स्थलों पर 02 पुराने शौचालयों के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–22/2–7–27/2013–14, दिनांक 22 अप्रैल, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चारधाम यात्रा मार्गो पर आधारभूत सुविधाओं के निर्माण योजना के अन्तर्गत, केदारनाथ धाम में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त 02 स्थलों पर 02 पुराने शौचालयों के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 29.07 लाख के प्रस्तुत आगणन का टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणोपरान्त, औचित्यपूर्ण पाई गयी ₹ 25.87 लाख (अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत ₹ 19.18 लाख तथा सिविल कार्यो हेतु ₹ 6.69 लाख) अर्थात कुल ₹ 25.87 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

I. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
II. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
III. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
IV. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
V. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2014 तक अवश्य कर लिया जाय।
VI. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
VII. एक योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजना पर कदापि न किया जाय।

...2

VIII. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

IX. कार्यदायी संस्था के निधारण में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

X. व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में उल्लिखित प्राविधानों एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संबर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–52–चारधाम यात्रा मार्गो पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण/विकास–24–वृहद् निर्माण कार्य के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–78/XXVII(2)/2013, दिनांक 09 मई, 2013 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S-1305260148------द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।

संख्याः– 1296 /VI(1)/2013–02(01)/2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अधिकारी,साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
5– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
6– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
7– वित्त अनुभाग–2. उत्तराखण्ड शासन।
8– अध्यक्ष, सुलभ इन्टरनेशनल देहरादून।
9– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
अनुसचिव।